मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
''मंत्रालय''
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ 16–13/2020/2/34 भोपाल, दिनांक 18 JUN 2020

प्रति,

1 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, वित्त विभाग, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जनसंपर्क विभाग,स्कूल शिक्षा विभाग,जल संसाधन विभाग, एवं नगरीय विकास एवं आवास विभाग।
2 प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, विंध्याचल भवन, भोपाल
3 प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल
4 परियोजना निदेशक, मध्यप्रदेश जल निगम, विंध्याचल भवन, भोपाल
5 जल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि

विषय :– राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अंतर्गत मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित शिखर समिति की प्रथम बैठक दिनांक 10.06.2020 का कार्यवाही विवरण।

–0–

जल जीवन मिशन के अंतर्गत गठित राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की शिखर समिति की प्रथम बैठक का आयोजन मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 10.06.2020 को किया गया। बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न कर आपकी ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

मलय 18/06/2020
(मलय श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
एवं
मिशन निदेशक
राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन

पृ0 क्रमांक एफ 16–13/2020/2/34 भोपाल, दिनांक 18 JUN 2020

प्रतिलिपिः–

उप सचिव/निज सचिव, मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार।

मलय 18/06/2020
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
एवं
मिशन निदेशक
राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन

PA-2020

राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की शिखर समिति की बैठक दिनांक 10.06.2020 का कार्यवाही विवरण

प्रदेश में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के क्रियान्वयन हेतु गठित ''राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन'' की शिखर समिति की प्रथम बैठक दिनांक 10 जून 2020 को प्रातः 11:00 बजे मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन एवं अध्यक्ष शिखर समिति ''राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन'' की अध्यक्षता में मंत्रालय भोपाल में सम्पन्न हुई। बैठक में प्रत्यक्ष एवं वीडियो कांफ्रेन्स से भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

बैठक में निर्धारित एजेण्डा बिन्दुओं पर क्रमवार चर्चा की गयी, तथा समिति द्वारा उन पर चर्चा उपरांत निर्णय लिये गये, जिनका बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है –

एजेण्डा बिन्दु क्र. 01 – जल जीवन मिशन का परिचय।

बैठक में जल जीवन मिशन की अवधारणा, संरचना, कार्यप्रणाली एवं उद्देश्यों के संबंध में प्रस्तुतिकरण के माध्यम से समिति को जानकारी दी गयी।

एजेण्डा बिन्दु क्र. 02 – वर्ष 2023–24 तक की ''राज्य कार्य योजना'' एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 की ''वार्षिक कार्य योजना'' का अनुमोदन।

वर्ष 2020–21, 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 में प्रस्तावित क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन (Functional Household Tap Connection, FHTC) एवं वर्षवार आवश्यक एवं संभावित राशि के संबंध में जानकारी दी गई।

समिति के समक्ष प्रस्तुत वर्ष 2023–24 तक की ''राज्य कार्य योजना'', एवं वर्ष 2020–21 की ''वार्षिक कार्य योजना'' पर चर्चा उपरांत समिति द्वारा अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु क्र. 03 – राज्य तथा जिला जल एवं स्वच्छता मिशन स्तर पर बनाई जाने वाली परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के लिये, पूर्ववर्ती एनआरडीडब्ल्यूपी के संविदा पदों के अतिरिक्त आवश्यक पदों का मंत्रि–परिषद् से अनुमोदन प्राप्त करने, उक्त अतिरिक्त मानव संसाधन की पूर्ति ''सैडमैप'' से किये जाने हेतु अनुमोदन।

जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिये ''सॉफ्ट एक्टिविटी'' में सहायता के लिये राज्य स्तर पर 7, तथा जिला स्तर पर 266 अतिरिक्त मानव–संसाधन की व्यवस्था संविदा/आउटसोर्सिंग के माध्यम से करने के लिये शिखर समिति के समक्ष प्रस्ताव अनुमोदनार्थ रखा गया। बैठक में भारत सरकार की प्रतिनिधि द्वारा प्रस्ताव का समर्थन करते हुए जल जीवन मिशन की सफलता के लिये जेजेएम की गाइडलाइन अनुसार प्रस्तावित किये गये मानव–संसाधन की स्वीकृति दिया जाना आवश्यक बताया, जिसपर मुख्य सचिव महोदय का यह मत था कि अभी अतिरिक्त 120 पदों के लिये अनुमोदन लिया जाये, तथा जैसे–जैसे कार्य की मात्रा/भार बढ़ेगा वैसे–वैसे चरणबद्ध तरीके से, अतिरिक्त मानव–संसाधन की आवश्यकता की समीक्षा उपरांत विचार किया जायेगा।

18/06/2020

समिति द्वारा प्रथम चरण में राज्य स्तर के तीन पद, तथा जिला स्तर के 110 पदों के लिये निम्नानुसार अतिरिक्त मानव–संसाधन का प्रबंध किये जाने हेतु अनुमोदन दिये जाने का निर्णय लिया गया :–

क्रमांक	राज्य / जिला स्तर	पद का नाम / प्रकार	संख्या
1	राज्य स्तर	प्रोजेक्ट मैनेजर (निगरानी)	1
2	राज्य स्तर	कार्यान्वयन सहायता एजेंसियाँ (आई.एस.ए) समन्वयक	1
3	राज्य स्तर	शिक्षा, सूचना एवं संचार समन्वयक	1
4	जिला स्तर	प्रोजेक्ट मैनेजर (निगरानी)	52
5	जिला स्तर	कार्यान्वयन सहायता एजेंसियाँ (आई.एस.ए.) कोआर्डिनेटर	52
6	जिला स्तर	जिला सूचना, शिक्षा एवं संचार कन्सल्टेंट	2
7	जिला स्तर	जिला मानव संसाधन विकास कंसल्टेंट	2
8	जिला स्तर	जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कन्सल्टेंट	2
योग –			**113**

समिति द्वारा उपरोक्तानुसार सैद्धांतिक सहमति दी है, वित्त विभाग से परामर्श उपरांत मंत्रि–परिषद से पदों की स्वीकृति तथा पदों को भरने की कार्यवाही की जाये।

एजेण्डा बिन्दु क्र. 04 – जिला जल एवं स्वच्छता मिशन को रूपये 2 करोड़ लागत तक की नलजल योजना के अंतः ग्राम (In-village) के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकारों के प्रत्यायोजन पर विचार।

जिला जल एवं स्वच्छता मिशन को रुपये 2.00 करोड़ की लागत तक के अन्तःग्राम (In-village) पेयजल अवसंरचना के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार दिये जाने के लिये बैठक में उपस्थित प्रमुख सचिव (वित्त विभाग) द्वारा सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की गई।

समिति द्वारा चर्चा उपरांत प्रस्ताव का सैद्धांतिक अनुमोदन करते हुये निर्देशित किया गया कि उपरोक्तानुसार प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार प्रत्यायोजित किये जाने के लिये वित्त विभाग से परामर्श उपरांत मंत्रि–परिषद की स्वीकृति प्राप्त की जाये।

एजेण्डा बिन्दु क्र. 05 – क्रियान्वयन सहायता संस्थाओं (Implementation Support Agencies, ISA) को सूचीबद्ध करने हेतु "रूचि की अभिव्यक्ति" का अनुमोदन।

समिति के समक्ष, क्रियान्वयन सहायता संस्थाओं को सूचीबद्ध करने हेतु "रूचि की अभिव्यक्ति" का प्रारूप रखा गया, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा बताया गया कि उक्त "रूचि की अभिव्यक्ति" आमंत्रित करने के लिये, शिखर समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में, विज्ञापन जारी किया जा चुका है। प्रस्तावित नियमों व शर्तों पर बैठक में चर्चा की गयी।

समिति द्वारा चर्चा उपरांत, क्रियान्वयन सहायता संस्थाओं (ISA) को सूचीबद्ध करने हेतु "रूचि की अभिव्यक्ति" में प्रस्तावित नियमों व शर्तों का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।

18/06/2020

एजेण्डा बिन्दु क्र. 06 – तृतीय पक्ष निरीक्षण संस्थाओं (Third Party Inspection Agencies, TPI) को सूचीबद्ध करने हेतु ''रूचि की अभिव्यक्ति'' का अनुमोदन।

समिति के समक्ष, **तृतीय पक्ष निरीक्षण संस्थाओं** को सूचीबद्ध करने हेतु ''रूचि की अभिव्यक्ति'' तथा उसमें सम्मिलित नियमों व शर्तों का प्रारूप समिति के समक्ष अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा चर्चा उपरांत, तृतीय पक्ष निरीक्षण संस्थाओं (TPI) को सूचीबद्ध करने हेतु ''रूचि की अभिव्यक्ति'' में प्रस्तावित नियमों व शर्तों का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु क्र. 07 – ठेकेदारों को सूचीबद्ध करने हेतु ''रूचि की अभिव्यक्ति'' का अनुमोदन।

समिति के समक्ष, जेजेएम के कार्यों कराने के लिये ठेकेदारों को सूचीबद्ध करने हेतु ''रूचि की अभिव्यक्ति'' तथा उसमें सम्मिलित नियमों व शर्तों का प्रारूप समिति के समक्ष अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा चर्चा उपरांत, ठेकेदारों को सूचीबद्ध करने हेतु ''रूचि की अभिव्यक्ति'' में प्रस्तावित नियमों व शर्तों का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा बिन्दु क्र. 08 – जल निगम द्वारा सूचीबद्ध नलजल योजनाओं में लगने वाली सामग्री के मेक/ब्रांड का जल जीवन मिशन में उपयोग करने की स्वीकृति।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा कहा गया कि, सूचीबद्ध किये गये सामग्री के मेक/ब्रांड में से किसी विशेष मेक/ब्रांड के उपयोग के लिये ठेकेदार को बाध्य नहीं किया जाये। श्री अशोक शाह, प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, द्वारा भी सुझाव दिया गया कि, कार्य करने वाले ठेकेदार को जल निगम द्वारा सूचीबद्ध किये गये सामग्री के मेक/ब्रांड की सूची में से चयन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा बताया कि सूचीबद्ध सामग्री के मेक/ब्रांड की सूची से सामग्री के चयन के लिये ठेकेदार स्वतंत्र है।

प्रबंध संचालक, जल निगम द्वारा स्पष्ट किया गया कि जल निगम द्वारा पूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर Expression of Interest का प्रकाशन कर सामग्री निर्माताओं से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं, तथा जिन सामग्री निर्माताओं द्वारा Expression of Interest में निर्धारित किये गये सामग्री के मापदण्डों की पूर्ति की जाती है उनकी सामग्री के मेक/ब्रांड को सूचीबद्ध किया जाता है। एक ही सामग्री के एक से अधिक मेक/ब्रांड सूचीबद्ध किये जाते हैं जिनमें से किसी भी मेक/ब्रांड की सामग्री का चयन करने के लिये ठेकेदार स्वतंत्र होता है। सामग्री के मेक/ब्रांड को सूचीबद्ध किये जाने की यह प्रक्रिया समय–समय पर की जाती है, नये मेक/ब्रांड को सूचीबद्ध करने की उपरोक्त अनुसार प्रक्रिया भविष्य में भी सतत् रूप से जारी रहेगी।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि, नलजल योजनाओं में लगने वाली सामग्री के जल निगम द्वारा सूचीबद्ध मेक/ब्रांड का उपयोग जल जीवन मिशन की योजनाओं में भी किया जाये।

18/06/2020

एजेण्डा बिन्दु क्र. 09 –जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित की जाने वाली एकल नलजल योजनाओं के सी.पी.एच.ई.ई.ओ. मेन्युअल के अनुसार रूपांकन हेतु जल प्रदाय की मात्रा का निर्धारण।

प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि – **जल जीवन मिशन में निर्धारित 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मापदण्ड से घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जल प्रदाय सुनिश्चित किया जाये तथा योजना का रूपांकन मिशन की गाईडलाईन में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जाये।**

एजेण्डा बिन्दु क्र. 10 – जल जीवन मिशन के अंतर्गत नवीन समूह नलजल योजनाओं (एमवीएस) का एसएलएसएससी (State Level Scheme Sanctioning Committee, SLSSC), **राज्य स्तरीय वित्तीय समिति, एवं मंत्रि–परिषद् से स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु अनुमोदन।**

समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव में निम्नानुसार समूह जलप्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन जल जीवन मिशन के अंतर्गत लिये जाने के लिये अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया –

(अ) समूह जलप्रदाय योजनाएं जिनकी डीपीआर तैयार है –

क्र.	जिला	समूह जल प्रदाय योजना का नाम	सम्मिलित ग्राम	अनुमानित लागत (रु. करोड़)
1	आगर–मालवा	आगर–मालवा समूह ज.प्र. योजना	480	603.96
2	धार	राजौंद समूह ज.प्र. योजना	74	112.80
3	सागर	मढिया समूह ज.प्र. योजना	276	343.00
4	सिंगरौली	गोंड देवसर समूह ज.प्र. योजना	223	430.55
5	सिंगरौली	बैढ़न–1 समूह ज.प्र. योजना	283	627.39
6	सिंगरौली	बैढ़न–2 समूह ज.प्र. योजना	184	244.54
7	शिवपुरी	मढीखेड़ा समूह ज.प्र. योजना	804	1069.42
8	देवास	नेमावर (हाट पिपल्या) समूह ज.प्र. योजना	115	241.48
9	गुना	गोपीकृष्ण समूह ज.प्र. योजना	354	491.13
10	गुना एवं अशोकनगर	राजघाट समूह ज.प्र. योजना	1574	2040.53
		योग –	**4367**	**6202.80**

(ब) समूह जलप्रदाय योजनाएं जिनकी डीपीआर तैयार की जायेगी –

क्र.	जिला	समूह जल प्रदाय योजना का नाम	सम्मिलित ग्राम	अनुमानित लागत (रु. करोड़)
1	सतना (3 विकासखण्ड)	विंध्यक्षेत्र (बाणसागर) समूह ज.प्र. योजना	785	5500.00
2	रीवा		2300	
3	सीधी		1025	
4	जबलपुर	जबलपुर समूह ज.प्र. योजना	771	1100.00
		योग –	**4881**	**6600.00**

18/06/2020

उपरोक्त प्रस्ताव पर बैठक में चर्चा की गयी, भारत सरकार के प्रतिनिधि द्वारा स्पष्ट किया गया कि नई योजनायें जिनपर किसी भी अन्य मद से कोई व्यय नहीं किया गया है, उनका क्रियान्वयन जल जीवन मिशन से किया जा सकता है।

समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव (अ) पर निर्णय लिया गया कि, प्रस्तावित समूह योजनाएं क्र. 1, 2, एवं 3 का एसएलएसएससी से अनुमोदन प्राप्त किया जाये। योजना सरल क्र. 4, 5, 6, 7, 8, 9, एवं 10 सक्षम वित्तीय समिति द्वारा परीक्षित नहीं हैं, अतः सक्षम वित्तीय समिति से परीक्षणोपरांत मंत्रि–परिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाये। सक्षम वित्तीय स्वीकृति के उपरांत इन योजनाओं का क्रियान्वयन जल जीवन मिशन के अंतर्गत किया जाये।

समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव (ब) पर निर्णय लिया गया कि, प्रस्तावित चारों समूह योजनाओं की डीपीआर शीघ्र तैयार करायी जायें, डीपीआर का एसएलएसएससी तथा सक्षम वित्तीय समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जाये, मंत्रि–परिषद के अनुमोदन पश्चात इन योजनाओं का क्रियान्वयन जल जीवन मिशन के अंतर्गत किया जाये।

एजेण्डा बिन्दु क्र. 11 – अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

अन्य विषय–1 : अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र में सामुदायिक अंशदान तथा जल उपभोक्ता शुल्क में छूट, पूर्व स्वीकृत योजनाओं का जल जीवन मिशन द्वारा क्रियान्वयन।

श्री अशोक शाह, प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग, द्वारा अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र में जलकर की राशि एवं सामुदायिक अंशदान को कम रखे जाने का सुझाव दिया गया, तथा इस क्षेत्र की नलजल योजनाओं का क्रियान्वयन जल जीवन मिशन से करने का आग्रह किया गया।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में जो नलजल योजनायें पूर्व में जिस मद से स्वीकृत हुई है उन्हें उसी मद से पूरा किया जाये।

प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया कि उपरोक्त योजनाओं में जहाँ रेट्रोफिटिंग के कार्य की आवश्यकता होगी उसे जल जीवन मिशन से कराया जा सकेगा।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा स्पष्ट किया गया कि भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो सामुदायिक अंशदान की राशि निर्धारित की गयी है तदनुसार ही ली जाये।

प्रमुख सचिव, वित्त द्वारा सुझाव दिया गया कि जलकर की राशि से नलजल योजनाओं का संचालन/संधारण व्यय की प्रतिपूर्ति की जानी चाहिये, अतः योजना में संचालन/संधारण की वास्तविक लागत का आंकलन किया जाये एवं समूह योजनाओं से प्रति किलोलीटर बल्क वाटर प्रदाय की दरें निर्धारित की जायें।

अन्य विषय–2 : शालाओं, तथा ऑगनवाड़ी केन्द्रों में नल कनेक्शन लगाने का कार्य।

श्री अशोक शाह, प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग, द्वारा प्रस्ताव किया गया कि शालाओं, तथा ऑगनवाड़ी केन्द्रों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल के लिये नल कनेक्शन लगाये जाने का प्रावधान किया जाये।

M 18/06/2020

अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित श्री पंकज शुक्ला, संयुक्त संचालक द्वारा सुझाव दिया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भी टंकी की स्थापना एवं उससे नल कनेक्शन का कार्य भी योजना में शामिल किया जाये।

श्री मनोज गोविल, प्रमुख सचिव वित्त विभाग, द्वारा सुझाव दिया गया कि शासकीय शालाओं, तथा ऑगनवाड़ी केन्द्रों के शासकीय भवनों में नल कनेक्शन लगाने के साथ–साथ जल भण्डारण टंकी का कार्य भी जल जीवन मिशन के अंतर्गत कराया जाये।

समिति ने उपरोक्त सुझावों से सहमत होते हुए निर्णय लिया गया कि, शालाओं, ऑगनवाड़ी केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के शासकीय भवनों में नल कनेक्शन लगाये जाने तथा टंकी रखे जाने के कार्यों को शामिल करते हुये जल जीवन मिशन की पेयजल योजनाओं का रूपांकन किया जाये तथा प्राक्कलन तैयार किये जायें।

अन्य विषय–3 : जल जीवन मिशन की कार्य–योजना में अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में प्रावधान ।

श्री अशोक शाह, प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग, द्वारा प्रस्ताव किया गया कि जल जीवन मिशन की कार्य–योजना में अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में प्रावधान किया जाये।

मुख्य सचिव महोदय ने सहमति दी कि प्रदेश में अनूसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत लगभग 36 है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्राप्त राशि का उसी अनुपात में अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल ग्रामों में उपयोग किया जाये, इन क्षेत्रों की योजनाओं को प्राथमिकता से लिया जाये।

प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा आश्वास्त किया गया कि कार्य योजना में निर्देशानुसार प्रावधान रखे जायेंगे तथा अनूसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र में कार्य को प्राथमिकता दी जायेगी।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन किया गया।

मलय 18/06/2020

(मलय श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
एवं
सदस्य सचिव, शिखर समिति
राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन

परिशिष्ट

''राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन'' की शिखर समिति की प्रथम बैठक दिनांक 10 जून 2020, में उपस्थित सदस्यगण

क्रमांक	उपस्थित अधिकारी का नाम, पदनाम, विभाग
1	श्री इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, एवं अध्यक्ष शिखर समिति, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन
2	श्री मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं पर्यावरण, एवं सदस्य सचिव, शिखर समिति, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन
3	श्री मनोज गोविल, प्रमुख सचिव वित्त, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग, एवं सदस्य, शिखर समिति, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन
4	श्री तेजस्वी नायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, एवं सदस्य, शिखर समिति, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन
5	श्रीमती संस्कृति जैन, उप सचिव, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, एवं सदस्य, शिखर समिति, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन
6	श्री के.के.सोनगरिया, प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, एवं सदस्य, शिखर समिति, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन
7	श्री पंकज शुक्ला, संयुक्त संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। (प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, के प्रतिनिधि)
वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से बैठक में भाग लिया	
8	श्री अशोक शाह, प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास, एवं सदस्य, शिखर समिति, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन
9	श्री अनुपम राजन, प्रमुख सचिव, जनसंपर्क, एवं सदस्य, शिखर समिति, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन
10	श्रीमती रश्मि अरूण शमी, प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा, एवं सदस्य, शिखर समिति, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन
11	श्री डी.पी. आहूजा, प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, एवं सदस्य, शिखर समिति, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन
12	श्री नीतेश व्यास, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास, एवं सदस्य, शिखर समिति, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन
13	सुश्री रंजीता एम.एच., उप सचिव, भारत सरकार, जलशक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, नई दिल्ली, एवं सदस्य, शिखर समिति, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन

18.06.2020
(राजेश शाक्यवार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यां.विभाग, भोपाल